

ढोली कोठी प्रक्षेत्र
निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्रढोली, मुजफ्फरपुर
डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा

सं. 137/ढोली-प्रक्षेत्र

दिनांक 18/10/2022

निविदा समय बिस्तार सूचना

निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र के अन्तर्गत ढोली, कोठी प्रक्षेत्र प्रांगण में अवस्थित शीशम, सागवान एवं अन्य लकड़ी के लॉट की बिक्री के लिए मुहरबन्द निविदा उप निदेशक ढोली कोठी प्रक्षेत्र के कार्यालय में विहित प्रपत्र पर दिनांक 10.11.2022 के 5.00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक - 11.11.2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में समिति के सदस्यों के समक्ष ढोली कोठी प्रक्षेत्र में खुलेगी। निविदादाताओं को प्रत्येक लॉट के लिए रूपया 5000/- (पाँच हजार रूपया) मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रति लॉट अलग-अलग निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, ढोली के नाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देय होगा। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदा का सम्पूर्ण बिक्रय राशि उक्त तिथि को मान्य GST के साथ पच्चास प्रतिशत तत्काल एवं शेष 36 घंटे के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी। सफल निविदादाताओं को छोड़ कर शेष निविदादाताओं को निविदा समाप्ति के तुरंत बाद जमानत राशि वापस कर दिया जायेगा।

वैसे निविदादाता जो पूर्व में निविदा जमा कर चुके हैं उन्हें पुनः निविदा समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

समिति को किसी भी लॉट की नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा। निविदा पत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। लॉट वाइज लॉग की सूची ढोली कोठी प्रक्षेत्र के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की गयी है, साथ ही एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

शर्त:-

1. सफल निविदादाताओं को दस दिनों के अन्दर सभी लॉट उठा लेना होगा। अन्यथा प्रति दिन 100.00 (एक सौ रूपया) प्रति लॉट की दर से शुल्क जमा करना होगा।
2. लॉट वाइज लॉग को सुरक्षा एवं अन्य प्रकार की जिम्मेदारी निविदा समाप्ति के बाद निविदा लेने वाले की होगी।
3. निविदाकर्ता को लकड़ी के लॉट को जिला एवं राज्य के बाहर ले जाने के लिए Transit permit (वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा पत्र) वन विभाग मुजफ्फरपुर वन प्रमंडल से लेना आवश्यक होगा। इसके लिए निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा।

कमलेश पाण्डेय
उप निदेशक 17.10.22

ढोली कोठी प्रक्षेत्र, ढोली